उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-493/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(187)-2021
लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफ़ारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-177/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, सातवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग, जो **प्ररूप जीएसटीआर-3ख में** विवरणी नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल हों, के लिये उक्त सारणी के स्तंभ(3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए, धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की धनराशि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि तक के लिये अधित्यक्त रहेगी, अर्थात् :–

सारणी

क्रम संख्या (1)	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)**	**कर अवधि (3)**	**अवधि, जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त की गयी (4)**
1	करदातागण, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च, 2021 और अप्रैल, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से पंद्रह दिन तक
2	करदातागण, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुलआवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो	मार्च, 2021और अप्रैल, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीस दिन

	धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने हेतु दायी हैं		तक
3	करदातागण, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुलआवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने हेतु दायी है	जनवरी - मार्च, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत दिनांक से तीस दिन तक।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव